हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 11 अंक : 7 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 जुलाई, 2020

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बैकलॉग भर्ती घोटाला

राज्य सरकार को अरबों रूपये का चूना, दोषियों को पहुंचाओ जेल : समता आन्दोलन

श्री आर. वैंकटेश्वरन, श्री निरंजन आर्य, एवं श्री बी. एल. जाटावत के विरूद्ध अमित शाह, गृह मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखकर सीबीआई में प्राथमिकी दर्ज करवाने की मांग

जयपुर। जातीय आधारित आरक्षण पर अदालतों की बार-बार टिप्पणी और सरकारी आदेशों से घिरी सरकारों ने अब गुप-चुप तरीके से मनमानी करनी शुरू कर दी है। अभी हाल ही में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1254 बैकलॉग पदों को राजस्थान सरकार द्वारा भरा जाना अविधिक एवं असंवैधानिक गतिविधि का एक ताजा उदाहरण है। इस विषय को लेकर समता आन्दोलन द्वारा आक्रामक रूख अपनाते हुये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि अजा/अजजा के कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड द्वितीय सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 1254 बैकलॉग पदों पर चयन किया जाना बहुत बड़ा भर्ती घोटाला है, जिसमें श्री आर. वेंकटेश्वरन, आई.ए.एस. के साथ कुछ अधिकारियों, विधायकों एवं प्राधिकारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार पूर्ण तरीके से इस अविधिक, असवैधानिक भर्ती प्रक्रिया को चलाया है। इस भ्रष्ट एवं प्रदेश को शर्मशार करने वाली भर्ती प्रक्रिया से राज्य सरकार को आने वाले 30-35 वर्षों में खरबों रूपयों का अविधिक नुकसान होना तय है। आप कृपया निम्न तथ्यों पर ध्यान देवें:-

1. कनिष्ठ सहायक/ लिपिक ग्रेड-।। संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 का विज्ञापन संख्या 07/2018 दिनांक 16.04.2018 को कुल 11255 पदों के लिए जारी किया गया था। इसकी संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 04.06.2018 में आरपीएससी द्वारा 9 पदों की अर्थना को बढाकर 28 पदों की अर्थना किया गया। इसी प्रकार दिनांक 01.03.2019 को अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ और पद बढाने की घोषणा की गई जिसके अनुसार कुल 12092 पदों पर भर्ती किया जाना सूचित किया गया। इन तीनों ही विज्ञापनों में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आरक्षण की गणना करते हुये वर्गवार आरक्षित पदों को भी दर्शाया गया था। किसी भी वर्ग में कोई भी बैकलॉग का पद नहीं दर्शाया गया था। जो यह प्रमाणित करता है कि किसी भी सरकारी विभाग में अजा/अजजा के बैकलॉग के कोई पद नहीं थे।

2. इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा हो जाने के पश्चात भी अजा/अजजा वर्ग के लिए एक भी पद अपूरित (अन फिल्ड)नहीं पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि इस भर्ती प्रक्रिया में भी कोई बैकलॉग का पद नहीं था।

3. कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 24.02.20 को परिपत्र जारी करके सभी विभागों को आरक्षण के रोस्टर रजिस्टर संधारित करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार दिनांक 29.05.20 को पुन: एक परिपत्र आदेश जारी करके यह सख्त निर्देश दिये गये कि किसी भी सूरत में 20.08.2020 तक सभी विभागों में आरक्षण के रोस्टर रजिस्टर अनिवार्य रूप से संधारित कर लिये जावें। और 30 अगस्त तक अपने विभाग के सचिवों के माध्यम से आरक्षण रोस्टर रजिस्टर संधारित किये जाने संबंधित प्रमाणपत्र कार्मिक विभाग को अनिवार्य रूप से भेजे जाए। इन परिपत्रों से यह प्रकटत: प्रमाणित होता है कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग में, किसी भी सेवा संवर्ग के रोस्टर रजिस्टर संधारित नही किये जा रहे है। आरक्षण रोस्टर रजिस्टर के बिना वर्गवार बैकलॉग पदों का निर्धारण संभव ही नहीं है।

4. उपरोक्त 1254 बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए कोई नया विज्ञापन जारी नही किया गया, कोई नई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की गई, वरन वर्ष 2018 की भर्ती परीक्षा प्रक्रिया सम्पूर्ण हो जाने के पश्चात अजा/अजजा के जो भी अभ्यर्थी तथाकथित प्रतिक्षा सूची में बताए गये उन्हें ही अविधिक रूप से बैकलॉग पदों पर चयनित मान लिया गया।

5. हमारे पास ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य है जिनसे यह प्रमाणित होता है कि उपरोक्त बैकलॉग पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को जिस-जिस विभाग में भेजा जा रहा है उन विभागों में अजा/अजजा के कोई भी पद रिक्त है ही नहीं। विभागों द्वारा बिना रिक्त पदों के अजा/अजजा के तथाकथित बैकलॉग पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाये जाने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है।

6. उपरोक्त बैकलॉग भर्ती घोटाले में संलिप्त श्री आर. वेंकटेश्वरन, आई.ए.एस के साथ अन्य अधिकारियों, विधायकों एवं प्राधिकारियों ने आपस में मिलीभगत करके और भ्रष्टाचार को छिपाने के दुराशय से दिनांक 18.06.2020 को एक अन्य आदेश क्रमांक प.1(2)प्र.सु./अनु.-3/2020 जारी करके राज्य के सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव को ये अविधिक निर्देश दिये है कि यदि उनके पास अजा/अजजा के रिक्त पद नहीं है तो तथाकथित बैकलॉग के नाम से चयनित अभ्यर्थियों को अन्य वर्गों के रिक्त पदों पर कार्यग्रहण करवा लिया जावें। इससे भी आगे बढकर ये भी निर्देश दिये गये है कि यदि किसी भी वर्ग में कोई भी पद रिक्त नहीं हो तो भी इन तथाकथित बैकलॉग भर्तियों पर आये अभ्यर्थियों को प्रथमत: कार्यग्रहण करवाया जावें एवं उसके पश्चात वित विभाग से न्यक्ति अधिकारी द्वारा अतिरिक्त पद सर्जित करवा लिये जावें। यह आदेश स्वत: ही इस भर्ती घोटाले का अकाट्य प्रमाण है कि श्री आर. वेंकटेश्वरन, आई.ए.एस. द्वारा कुछ अधिकारियों, विधायकों एवं प्राधिकारियों के साथ मिलीभगत करके उपरोक्त भर्ती घोटाले को अन्जाम दिया गया है। हमारे पास यह भी जानकारी है कि कुछ विधायकों द्वारा अपने नीहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु एक राय होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मुख्य सचिव महोदय को भी दवाब में लेकर इस अविधिक भर्ती प्रक्रिया को अनुमोदित करने के लिए बाध्य किया गया है।

उपरोक्त अविधिक, असंवैधानिक एवं भ्रष्टाचारपूर्ण भर्ती घोटाले की तथ्यात्मक जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया इस अविधिक भर्ती प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए, प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री महोदय की छवि को धूमिल होने से बचाया जाए, प्रदेश को आने वाले 30-35 वर्षों में अरबों रूपये का अविधिक एवं असंवैधानिक नुकसान होने से बचाया जाए ।

भर्ती घोटाले का अंकेक्षण हो समता आन्दोलन

समता आन्दोलन समिति ने राजस्थान राज्य में कनिष्ठ सहायक/ लिपिक ग्रेड द्वितीय के 1254 पदों पर अजा/अजजा के अभ्यर्थियों के ''बैकलॉग पद'' बताते हुये भ्रष्टाचारपूर्ण तरीके से की गई भर्ती को अविधिक एवं असंवैधानिक एवं भर्ती घोटाला बताते हुये प्रिंसिपल एकाउण्टेण्ट जनरल ऑडिट-प्रथम, कार्यालय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, जयपुर से विशेष अंकेक्षण किये जाने की मांग की हैं। समता आन्दोलन समिति ने अपने पत्र में प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित विभाग एवं अध्यक्ष राज्य अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये 1254 कनिष्ठ सहायक/ लिपिक ग्रेड द्वितीय के पदों पर अजा/अजजा के बैकलॉग पदों पर भ्रष्टाचारपूर्ण तरीके से की गई भर्ती पूरी तरह अविधिक होने के साथ-साथ राज्य सरकार के राजकोष को 30-35 वर्षों में अरबों रूपयों का अविधिक नुकसान पहुंचाने वाली बताया है।

पत्र में समता आन्दोलन ने प्रिंसिपल एकाउण्टेण्ट जनरल ऑडिट से राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग एवं संबंधित अन्य विभागों से सभी रिकार्ड तलब कर विशेष अंकेक्षण करवाये जाने की मांग की है ताकि राज्य सरकार के राजकोष को अविधिक रूप से होने जा रहे अरबों रूपये के नुकसान को तत्काल रूकवाने का प्रयास किया जा सके।

अध्यक्ष की कलम से

''वो नहीं रहा तो ये भी न रहेगा''

कहने को तो हम भी कहते रहे है कि धैर्य और विवेक कभी नहीं छोड़ने चाहिये। संविधान पर अटूट विश्वास होना चाहिये...आदि-आदि। लेकिन जब वास्तविकता का सामना करना पड़ता है तो विश्वास की दीवार बार-बार दरकती प्रतीत होती है।

ये सच है कि समता आन्दोलन संवैधानिक शुचिता को स्वीकार और अंगीकार करने का आन्दोलन है। ऐसा किया भी जाता रहा है। लेकिन वर्तमान में कोरोनावायरस के नाम पर समस्त संवैधानिक व्यवस्थाएँ जिस तरह कोने में खड़ी बिसूर रही हैं उससे तात्कालिक तौर पर हमारे विश्वास को भी असमंजस का सामना करना पड़ रहा है। आज संसद है विपक्ष नहीं है। न्यायपालिका है लेकिन निर्णय नहीं है। प्रशासन है पर शासन दृष्टिगोचर नहीं होता। कथित मीडिया है जो झॉय-झॉय के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, कह पाना कठिन हो गया है। चिकित्सा व्यवस्था दवा माफिया के चंगुल में फंसी दीख रही हैं।

कभी समय था जब आम जन अपराधी को ''अदालत में देख लेने'' की बात कहकर संतुष्ट होता था। न्याय देने के लिए बैठे लोगों से न्याय मांगने के मार्ग या तो बंद कर दिये गये है अथवा इतने संकरे बना दिये गये है कि उनमें से होकर निकलना भी कठिन हो गया है।

कहा जाता है कि ''वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा''। इस परम्परागत मानसिक आश्वासन के सहारे 130 करोड़ जनता कब तक शांति से चल पायेगी यह प्रश्न सभी के सामने है।

सम्पादकीय

..... क्या कहें !!!

क्या देश का सिस्टम फेल हो चुका है? यह प्रश्न है कोई घोषणा या निर्णय नहीं। इस तरह के प्रश्न अचानक नहीं बनते हैं। वैसे भी किसी भी प्रश्न से पहले बहुत कुछ ऐसा घटता है जो मानने और जानने को मजबूर करता है कि आखिर क्यों? उदाहरण के तौर पर वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी समस्या कोविड-19 को लें तो लगता है कि सिस्टम फेल हो चुका है। डब्ल्यू.एच.ओ. अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करना पूर्णत अनुपयोगी है। जिस तरह दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर अविश्वास प्रकट किया है वो दुनिया के वर्तमान और इतिहास की अनूठी घटना है।

भारत तो सदियों से मानववादी देश रहा है वो कोरोना का वार नहीं झेल पाया है और जन के प्रति दायित्व को भूलकर साफतौर पर कथित मेडिकल साईंस का दास बनकर रह गया है। जनाधार से कटी सरकारें जन के प्रति दायित्व को भूलकर 130 करोड़ लोगों के देश को प्राय: दो माह तक तालाबंदी की सलाखों में धकेलकर निर्लज्ज मीडिया के माध्यम से ''सब कुछ ठीक है'' की तर्ज पर उत्सव मनाता है। देश के महामार्गों पर दुधमुंहे बच्चे, बूढ़े, जवान, औरते लाखों की तादात में पैदल निकल पड़ते हैं। न्याय व्यवस्था गर्मियों को एयरकंडीशनर से सहन करके पांव फैलाकर सो जाती हैं। और सड़कों पर मौत का तांडव चलता रहता है। संविधान को मात्र डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराओं के बहाने पूर्णत: स्थगित मान लिया जाता है। पुलिस सड़कों पर पैदल चलते भूखे-थके प्यासे नागरिकों पर लाठियाँ चलाती हैं, प्रदेश सरकारें अपने ही प्रदेश के लोगों के लिए सीमाएं सील कर देती हैं। अपने ही देश में अपने ही देश के लोग दो प्रदेशों की सीमा रेखा पर दयनीय शरणार्थी बना दिये जाते है। दुखी लोगों से मात्र सहानुभूति प्रदर्शन को राष्ट्रद्रोह घोषित कर दिया जाता है। सड़क पर निरीह मौतों के अलावा कितने लोग कोरोना के भय से आत्मघात कर रहे हैं या कर चुके हैं उसकी चिंता किसी को नहीं है।

जातिवाद को खत्म करने के अविवेकपूर्ण तरीके अब कपटी और लंपट लोगों के हाथ में मानवता को पीड़ित-प्रताड़ित करने के उपकरण बन चुके है। निष्पक्ष, योग्य और समर्पित कर्मी की पहचान अब नहीं रही है। जो जिस जगह बैठा है या बैठा दिया गया है उसे नहीं पता है कि वो क्यों बैठा या बिठाया गया है। एक समय था जब जनता को ''अदालत में देख लेने'' का विश्वास वह अब परीकथा बनकर रह गया है। सरकारी समझ और दायित्व धुन लगा चने का दाना भर रह गया है। सामाजिक दायित्व बोध को जगाये रखने वाले गांधी, विनोबा, अब्दुल गफ्फार खां, जयप्रकाश नारायण, आमटे, अन्ना जैसे लोगों को भुलाने का दिनरात प्रयास किया जाता है और कोई फिर भी सिर उठाये तो डोभालकर, कलबुर्गी, गौरी लंकेश की गति को पंहुचा दिया जाता है।

अपने ही देश में अपने देश के लोग अपने देशवासियों को बाहर का बता रहे हैं और कोई दल अथवा नेता बोल नहीं रहा है। बहुत आशा और विश्वास के सहारे सोशल मीडिया आया तो सही लेकिन तत्काल ही घृणापंथियों द्वारा कब्जा लिया गया। आंख बंद करके शांत मन से सोचें तो व्यवस्था के नाम पर एक भी प्रकल्प, उपक्रम अथवा मूल ऐसा नहीं बचा है जिसे जीवित और पूर्ण कहा जा सके। यदि कुछ दिखाई देता है तो बस यही कि कितने कितने काले आवरणों ने हमको ढकना चाहा लेकिन मूल मानवीय चेतना कभी आहत नहीं हुई थी। आज उसी पर सबसे बड़ा संकट है। फिर भी मन कहना चाहता है- जय भारत जय भारत वासी???

जय समता ।

- योगेश्वर झाड़सरिया

आज में झांकता कल का डर

जात के आधार पर आरक्षण कई तरह से देश को भीतर ही भीतर खोखला करता जा रहा है। राजनैतिक आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, बिना आरक्षण के आरक्षण..... लेकिन किसके लिये? क्या देश में अभी भी अर्थात आजादी के 70 साल बाद भी लोगों को जात के आधार पर आरक्षण की आवश्यकता है? यदि है तो यह संविधान का घोर अपमान है। राजनैतिक आरक्षण के नाम पर विधान सभाओं और लोक सभाओं को पंगु बना दिया गया है। प्राय: तीस प्रतिशत लोग आरक्षण की बैशाखी लेकर बड़ी सभाओं में पहुंच रहे हैं। वहाँ उनका एक मात्र उद्देश्य जात आधारित आरक्षण को बचाए रखने के लिए केवल धौंसपट्टी करना भर दिखाई देता है।

योग्य-अयोग्य, पात्र-अपात्र, बहुमत-संख्यामत ऐसे नये मुहावरे आ गये है, जिनका सीधा मतलब कहीं नहीं रह गया है। अनुमान था कि कुल 100 में से 30 लोगों को निभाया जा सकता है। लेकिन अचानक सरकारों को लगा कि सरकारी कर्मचारी बोझ बनते जा रहे है तो धीरे-धीरे इस बोझ को कम करते-करते 48 प्रतिशत तक कम कर दियागया है। यह आंकड़ों का खेल नहीं देश के दुर्भाग्य का दस्तावेज है। बिना नई नियुक्तियों के पदों की संख्या घटाते जाने से जो होना था ठीक वहीं हुआ है। पुराने, अनुभवी, समर्पित कर्मचारी/अधिकारी हटते गये अर्थात अनारक्षित तबका कम होता गया और जो तबका सुविधा के बल पर सरकार का हिस्सा बना वो बचा रह गया।

लोकतंत्र की यह कमजोरी हे कि पाँच-दस साल सत्ता में रहने वाला अपने आप को विजेता तो मानता है लेकिन हारने वाले की कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करने के बजाय अपनी कमजोरियों को विशेषता सिद्ध करने में जुटा रहता है। यह अनवरत क्रम चलता हुआ साफदीख रहा है। इसीलिये कोई इस तथ्य को स्वीकार करके सुधारने को तैयार नहीं है कि आजादी के समय की 35 करोड़ जनता आज बढकर 130 करोड़ हो गई है। इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे दलित कहा जा सके क्योंकि आज की पूरी जनता संवैधानिक जनता है। ऐसे में किसी को दलित कहना संविधान का अपमान है । और अपमान विधानसभाऐं, संसद, नेता, दल और यहाँ तक कि न्याय अधिकारी भी कर रहे हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों और उनके संघर्ष को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना बेमानी है। भारत का राष्ट्रीय समाज मध्य कालीन समय की तरह तीन-तेरह हो चुका है। कोई किसी जात के अनुसार जीवन यापन नहीं कर रहा है फिर भी जात की प्रतिष्ठा आज कहीं अधिक हो गई है। लेकिन ऋणात्मक अर्थो। में। तब की जातीयता एक व्यवस्था के तहत थी आज की जातीयता विद्वेश का पर्याय है।

जात के जात रहने तक फिर भी एक तारतम्यता, एक लौकिकता बची हुई थी। अब जात के स्थान पर धर्म और क्षेत्रियता भी जातिवाद के उपकरण बनते जा रहे हैं। ऊपर से परिश्रम, त्याग, तपस्या, सेवा के बल बनने वाले नेताओं के अभाव में पार्टीतंत्र ने लोकतंत्र को दबोच लिया है। ऐसे एक नहीं दर्जनो उदाहरण है कि किसी समर्पित और योग्य कार्यकर्ता को उसकी जात के कारण महत्व नहीं दिया गया हो। परिणाम वहीं हुआ जो होना था। दबंग, कपटी और लंपट लोगों का वर्चस्व बढता गया। अब बहस ये नहीं है कि न्याय और नीति की प्रतिष्ठा हो बल्कि ये है कि ''ऐसी बाते'' करने वालों को मुख्य धारा से बाहर कर दिया जायें।

मात्र और केवल मात्र जातिवाद के प्रति नासमझी ने भारत को भारत नहीं रहने दिया है। कहने मात्र को कथित ब्राहम्णवाद का विरोध किया जाता है लेकिन कोई भी ये नहीं बताता है कि जितने भी कथित बाबा जेल की हवा खा रहे हैं उनमें से एक भी ब्राहम्ण नहीं है। और जितने साधु राजनीति का सुख ले रहे है उनमें से एक भी सन्यासी ब्राहम्ण नहीं है। कल का चेहरा कोई नहीं जानता। लेकिन आज के दपर्ण में यदि आने वाले कल का चेहरा देखा जा सकता हो तो वह निश्चय ही डराने वाला है।

आयुर्वेद को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा का दर्जा मिले: समता आन्दोलन

हिण्डोन सिटी। पूर्व अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद एवं समता आयुर्वेद प्रकोष्ठ भरतपुर के संभाग प्रभारी डा. घनश्याम व्यास ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं आयुष मंत्रालय को पत्र लिखकर आयुर्वेद को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा का दर्जा देने की मांग की है।

उन्होंने लिखा कि भारतवर्ष की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद ऋषियों द्वारा कायचिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा प्राचीन समय से होती आ रही है। आचार्य चरक ने कायचिकित्सा एवं सुश्रूत ने शल्य सर्जरी चिकित्सा ग्रंथों का निर्माण किया, चरक एक विशारद के रूप में विख्यात है। चरक में रोग नाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है। आचार्य सुश्रुत को शल्य सर्जरी चिकित्सा के जनक कहा जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा भारत का गौरव रहा है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा के साथ निरंतर सौतेला व्यवहार हो रहा है।

उन्होंने लिखा कि आयुर्वेद को बहुत कम बजट आबंटित किया जाता है। बजट के अभाव में आयुर्वेद औषधियों के रिसर्च में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद का बजट बढाया जाए। आयुर्वेद की महत्ता को सभी बखूबी जानते है। उसके बाद ऐसा क्यो? आयुर्वेद के रस, भस्मों के माध्यम से जटिल से जटिल रोगों का निदान संभव है। नाड़ी परीक्षण के माध्यम से रोग का निदान आयुर्वेद के द्वारा ही किया जाता है। अन्य पद्धतियाँ नारी परीक्षण के द्वारा निदान नहीं कर पाती है। कोरोना वायरस के संक्रमण की त्रासदी में सम्पूर्ण भारतवर्ष में आयुर्वेद औषधि युक्त काढा सबसे ज्यादा उपयोगी व सफल चिकित्सा के रूप में सिद्ध हो रहा है।

उन्होंने लिखा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाने में बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। इस बात को भारत के प्रधानमंत्री, चिकित्सा मंत्री स्वय ने संचार तंत्र के माध्यम से आम जनता को यह संदेश दिया है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सैद्धांतिक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद औषधियों का शरीर पर दुष्परिणाम नहीं होता है। इस समय आयुर्वेद की प्रमुख औषधि अश्वगंधा, गिलोय, च्यवनप्राश, सोंठ, काली मिर्च, तुलसी पत्र, गोजिव्हादि क्वाथ, वात्सलेभिक ज्वर हर क्वाथ, महासुदर्शन चूर्ण, फलत्रिकादि क्वाथ, आदि प्रमुख औषधियां कोरोना के संक्रमण में चिकित्सा के रूप में विशेष लाभदायक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सभी संक्रमण को रोकने में पूर्ण सक्षम है, आयुर्वेद विभाग के चिकित्साकर्मियों ने इस संक्रमण काल में यह सिद्ध कर दिया।

अत: आयुर्वेद चिकित्सा को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा घोषित की जाए।

मराठा आरक्षण मामले में 27 से रोज सुनवाई

नई दिल्ली, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण को बरकरार रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 27 जुलाई से रोज सुनवाई होगी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुये वकीलों को सूचित किया कि 27 जुलाई से रोज सुनवाई होगी। हर पक्ष को अपनी दलीले देने के लिए तीन दिन का समय दिया जायेगा।

पौराणिक कथन : 'ठाढेश्वरी'

हठयोगी सन्यासी जो खड़े-खड़े ही पूजा, जप तथा भोजन करते हैं और खड़े रहकर दीवार के सहारे सोते हैं।

सब उपाय करके हम हारे,
फिर भी फिरते मारे-मारे।
कपटी लंपट मौज मनाते,
सच्चे दिखते है बेचारे।।

'समता आन्दोलन के सदस्य बने और बनाएं'

कविता

"हीरे जैसा पत्थर बिकता"

मछली जल की रानी है,
जाती उसकी पानी है।
जीवों में सबसे बढकर,
विज्ञानी कश्ती चढकर,
चांद सितारे सब पढकर,
मनुज जात से हार गया
अद्भुत एक कहानी है।
मछली जल की रानी है,
जाती उसकी पानी है।।
वर्ण व्यवस्था गोल हुई,
जाति पोलम-पोल हुई,
सारे रिश्ते हैं छुई-मुई,
घुप गलियारे राज पथों के,
औ सोई सी रजघानी है।
मछली जल की रानी है,
जाती उसकी पानी है।
जो पहला था अंतिम दिखता,
हीरे जैसा पत्थर बिकता,
सभी न्यूयता दिखे अधिकता,
हर झरना बनता गंगाजल,
संगम सिर्फ जुबानी है।।
मछली जल की रानी है,
जाती उसका पानी है।
दाल भात में दाल नहीं है,
कोई पहुँचा आज कहीं है,
जो भी ठिकका अभी वहीं है,
आसमान की बातें करते-
धरती की ठिठकी नानी है।।
मछली जल की रानी है,
जाती उसकी पानी है।

- तरूण शर्मा -

शिक्षा में आरक्षण : अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

गतांग से आगे:-

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तो यही मानकर चल रहा है कि भले ही पूर्व-स्नातक परीक्षा में उन्हें आरक्षण कोटे के अंतर्गत प्रवेश दिया जाता है; लेकिन चूँकि पाठ्यक्रम के दौरान वे अन्य सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान ही जानकारियाँ कि पाठ्यक्रम के दौरान वे अन्य सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान ही जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। चूँकि पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बाद उन्हें एक जैसी परीक्षा ही उत्तीर्ण करनी पड़ती है, अत: उन्हें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के एक वर्ग में ही शमिल किया जाना चाहिए। बिलकुल! लेकिन जब उन्हें एक ही वर्ग में शामिल किया जा रहा है तो स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम में उन्हें अलग से आरक्षण देने का क्या औचित्य है? सर्वोच्च न्यायालय इस प्रश्न का जो उत्तर देता है, उससे पता चल जाता है कि वह स्वयं अपने ही कथन, अपनी ही धारणा को लेकर कितना कम आश्वस्त है।

सर्वोच्च न्यायालय का कहना है- "पहली बात तो यह है कि जिस मान्यता अथवा धारणा के आधार पर यह तर्क रखा गया है, वह स्वयं ही निराधार और अस्वीकार्य है। स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए आरक्षण का सहारा लेने वाला कोई अभ्यर्थी जरूरी नहीं है कि एम.बी.बी.एस.पाठ्यक्रम में भी आरक्षण के बल पर ही प्रवेश पा सकता है। हो सकता है कि वह सामान्य श्रेणी के अंतर्गत यानी बिना आरक्षण का लाभ लिये अपनी योग्यता के बल पर प्रवेश पा ले; लेकिन चूँकि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम की प्रतियोगिता (परीक्षा) अत्यधिक कड़ी होती है, अत: उसे आरक्षण का लाभ लेना पड़ सकता है।" इस नए नियम-निरूपण से भी दो बातें सामने आती है। पहली बात, वाक्य का अंतिम हिस्सा स्वयं ही यह स्वीकारोक्ति प्रकट करता है कि यद्यपि आरक्षण कोटे के अंतर्गत पानेवाले अभ्यार्थी को भी पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रम में वही सबकुछ सीखने-पढ़ने को मिला है, जो अन्य सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिला है, लेकिन इसके बावजूद वह विषय पर अपनी पूरी पकड़ नहीं बना सका, इसलिए उसे आगे के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए आरक्षण का सहारा चाहिए; न्यायालय की यह स्वीकारोक्ति उसके अपने ही तर्क का खंडन करती है। दूसरी बात, माना इस श्रेणी के छात्रों को आरक्षण के जरिए पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला है, अन्य(सामान्य) श्रेणी के छात्रों को नहीं-ऐसे में हमारे पास यह नियम क्यों नहीं हो सकता कि पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय आरक्षण का लाभ प्राप्त करनेवाले छात्र स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए आरक्षण के हकदार नहीं होंगे?

> आखिर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे अखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

खैर, सर्वोच्च न्यायालय आगे कहता है, "दूसरी बात, अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।" लेकिन आखिर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे अखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। न्यायालय के पास इसका सोचा-समझा उत्तर है-"सीमा का निर्धारण कहाँ करना है, यह देखना कानून का नहीं बल्कि सरकार का काम है, जिसके लिए वह समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर अपनी नीति तैयार करता है।" जी हाँ, यह उसी सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है जिसने एक नहीं, कई मामलों में सीमा का निर्धारण किया है? इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के स्वयं के ही नियम-निरूपण की ओर ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की गई, जो उसने इंद्रा साहानी मामले में तैयार किया था-कि कुछ क्षेत्रों में उच्च स्तर पर आरक्षण का नियम लागू नहीं किया जा सकता।

उसने स्वयं ही कहा था- अनुच्छेद 35 के संदर्भ में हमारा मानना है कि सेवाएँ और पद ऐसे हैं, जिसमें पूर्वाल्लिखित योग्यता ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थितियों में आरक्षण का नियम लागू करना ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए, अनुसंधान एवं विकास संगठनों/विभागों/संस्थानों में तकनीकी पद, औषधि, अभियांत्रिकी और ऐसे अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ का पद तथा भौतिक विज्ञान व गणित आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञ का पद और इसी तरह, रक्षा सेवाओं एवं उनसे संबंधित अन्य क्षेत्रों में। इसी तरह, उच्च स्तर के पदों के मामले में, जैसे-प्राध्यापक (शिक्षा-क्षेत्र में), इंडियन एयरलाइंस में विमान चालक, परमाणु एवं अंतरिक अनुप्रयोगों में वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के मामले में आरक्षण का नियम उपयुक्त नहीं है।

अत: हमारा मानना है कि कुछ विशेष सेवाओं में, और उनमें भी कुछ विशेष पदों के संदर्भ में, आरक्षण का नियम लागू नहीं किया जाना चाहिए। इन विशेष सेवाओं और पदों में से कुछ इस प्रकार हैं-1.रक्षा सेवाओं में सभी तकनीकी पद, असैनिक पदों को छोड़कर; 2 परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विज्ञान सहित अनुसंधान एवं विकास संगठनों में सभी तकनीकी पद तथा रक्षा उपकरणों का उत्पाद करनेवाले सभी संगठन; 3.प्राध्यापक का शैक्षिक पद; 4. औषधि, अभियांत्रिकी एवं अन्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों में विशेषज्ञ का पद; 5.इंडियन एयरलांइस और एयर इंडिया में पायलट एवं सहायक पायलट का पद। यह सूची केवल उदाहरण के तौर पर है। यह निश्चित करना सरकार का कार्य है कि किस सेवा/विभाग/पद के मामले में आरक्षण का नियम लागू किया जाए और किसमें नहीं; लेकिन इसके आधार पर 13 अगस्त, 1990 के कार्यालय ज्ञापन को स्थागित अथवा समाप्त नहीं किया जा सकता।

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

राजस्थान स्कूल शिक्षा सेवा प्रकोष्ठ की सशक्त कार्यकारिणी का गठन

क्र.सं	पदनाम	पदाधिकारियों का नाम
	-:: प्रान्तीय पदाधिकारी ::-	
1	संरक्षक-	श्री ओमप्रकाश सारस्वत
2	संरक्षक-	श्री हेमेन्द्र कुमार उपाध्याय
3	संरक्षक-	श्रीमती गायत्री देवी प्रजापति
4	संरक्षक-	श्री मुकेश कुमार शर्मा
5	प्रान्तीय अध्यक्ष-	श्री बाबू लाल विजयवर्गीय
6	प्रान्तीय महासचिव-	श्री अशोक कुमार त्यागी
7	प्रान्तीय कोषाध्यक्ष-	श्री मोहनी मोहन गुप्ता
	-:: संभागीय अध्यक्ष ::-	
1	अजमेर	महावीर सिंह राठौड
2	बीकानेर	श्री दुर्गा शंकर पुरोहित
3	भरतपुर	श्री ओम प्रकाश शर्मा
4	जयपुर	श्रीमती सुदर्शन कुल्हर
5	जोधपुर	बहिन गजरा चौधरी
6	कोटा	श्रीमती रश्मि शर्मा
7	उदयपुर	श्री पुष्पेन्द्र पण्डया
	-:: संभागीय सचिव ::-	
1	अजमेर	राजेश कुमार तिवारी
2	बीकानेर	श्री रामकुमार आचार्य
3	भरतपुर	श्री लखन पाल सिंह
4	जयपुर	श्री ललित कुमार शर्मा
5	जोधपुर	श्री आईदान राम चौधरी
6	कोटा	श्री यतीश कुमार विजय
7	उदयपुर	जयदीप कोठारी
	-:: जिलाध्यक्ष ::-	
1	अजमेर	श्री आनन्द कुमार शर्मा
2	भीलवाडा	श्री ओम प्रकाश झंवर
3	नागौर	श्री बलवीर सिंह राठौड़
4	टौंक	श्री मुकेश कुमार गुप्ता
5	बीकानेर	श्री राजेश भार्गव
6	चुरू	श्री सूर्य प्रकाश त्रिवेदी
7	हनुमानगढ	श्री मोहन लाल स्वामी
8	श्री गंगानगर	श्रीमती सुषमा शर्मा
9	भरतपुर	श्री केदारनाथ पाराशर
10	धौलपुर	श्री सुरेन्द्र सिंह परमार
11	करौली	पुरुषोत्तम लाल शर्मा
12	सवाई माधोपुर	श्री सत्यनारायण शर्मा
13	अलवर	श्री राधारमन विजय
14	दौसा	श्री रमेश चन्द्र विजय
15	जयपुर	श्री कैलाश चन्द जैन
16	झुंझुनू	श्री नन्दकिशोर शर्मा
17	सीकर	श्री हरि सिंह शेखावत
17	बाडमेर	श्री महेश कुमार दादानी
19	जैसलमेर	श्री छतर सिंह भाटी
20	जालौर	श्रीशैतानसिंह राजपुरोहित
21	जोधपुर	श्री झुमरलाल पालीवाल
22	पाली	श्री चम्पा लाल भाटी
23	सिरोही	श्री जवाना राम पुरोहित
24	बारां	श्री गोविन्द गोस्वामी
25	बूंदी	श्री ऋषिराज शर्मा
26	झालावाड	श्री रामगोपाल श्रृंगी
27	कोटा	श्री के एल विजय
28	बांसवाडा	श्री राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी
29	चित्तौडगढ	श्री जगदीश चन्द्र व्यास
30	डूंगरपुर	श्री दिनेश श्रीमाल
31	प्रतापगढ	श्री हरिशंकर शर्मा
32	राजसमंद	श्री कन्हैया लाल शर्मा
33	उदयपुर	श्री जालम सिंह
	-:: जिला सचिव ::-	
1	अजमेर	श्री रमेश आचार्य
2	भीलवाडा	श्री लक्ष्मीनारायण काबरा
3	नागौर	श्री शिम्भू सिंह राठौड
4	टोंक	श्री सुनिल कुमार शर्मा
5	बीकानेर	श्री अनिल बोड़ा
6	चुरू	श्री प्रमेन्द्र कुमार शर्मा
7	हनुमानगढ	श्री रामकिशन जोशी
8	श्री गंगानगर	श्रीमती लाजवन्ती खन्ना
9	भरतपुर	श्री अनिल गर्ग
10	धौलपुर	श्री पप्पू सिंह सिकरवार
11	करौली	श्री रामगोपाल शर्मा
12	सवाई माधोपुर	श्री भोदत्त शर्मा
13	अलवर	श्री महेश चन्द गुप्ता
14	दौसा	श्री लोकेश कुमार शर्मा
15	जयपुर	बहिन कविता अवस्थी
16	झुंझुनू	श्री शिव भगवान शर्मा
17	सीकर	श्री गुलाब सिंह शेखावत
18	बाडमेर	श्री गुलाब सिंह
19	जैसलमेर	श्री दलपतसिंह भाटी
20	जालौर	श्री दिनेश पुरोहित
21	जोधपुर	श्री पुरखा राम शर्मा
22	पाली	श्री सोहन लाल टॉक
23	सिरोही	श्री ईश्वर लाल पुरोहित
24	बारां	श्री राजेन्द्र मेहता
25	बूंदी	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा
26	झालावाड	भँवर सिंह राठौड़
27	कोटा	श्रीलक्ष्मीनारायण पंचौली
28	बांसवाडा	श्री पर्वतसिंह चौहान
29	चित्तौडगढ	श्री अर्जुन सिंह शक्तावत
30	डूंगरपुर	श्री तुलजा शंकर भट्ट
31	प्रतापगढ	मंगलेश कुमार शर्मा
32	राजसमंद	कैलाश चन्द्र जैन
33	उदयपुर	श्री मनीष जोशी

जातिवादी एडीजी पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की मांग

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सिविल राइट्स, जयपुर द्वारा दिनांक 29.05.2020 को जारी अविधिक परिपत्र

जयपुर। समता आन्दोलन समिति द्वारा जातिगत आधार पर प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करने वाले रवि प्रकाश मेहरडा (आई.पी.एस.), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सिविल राइट्स, जयपुर के विरूद्ध सख्त विभागीय एवं दण्डात्मक कार्यवाही करने की मांग की है।

समता आन्दोलन समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल महोदय, भारत सरकार के गृह सचिव, कार्मिक सचिव, विधि सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, गृह सचिव राजस्थान सरकार एवं एडवोकेट जनरल राजस्थान सरकार एवं सभी विधायकों को लिखे पत्र में निवेदन किया गया है कि हम आपका ध्यान रवि प्रकाश मेहरडा (आई.पी.एस.), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सिविल राइट्स, जयपुर द्वारा दिनांक 29.05.2020 को जारी अविधिक परिपत्र क्र. प-1(21) सीबी/सीआरसी/परिपत्र/1821-63 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। मेहरडा द्वारा जारी यह परिपत्र पूरी तरह अविधिक है न्यायपालिका की अवमानना करने वाला, प्रदेश में जातिगत विद्वेष फैलाने वाला है, प्रदेश की निर्वाचित सरकार को अविधिक/जातिवादी/कमजोर/कायर साबित करने वाला है, तथा श्री मेहरडा की राजनैतिक महत्वकांक्षाओं व राजनैतिक ब्लैकमेलिंग की मानसिकताओं को उजागर करने वाला है। मेहरडा द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्र दिनांक 29.05.2020 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन हर हाल में अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए निम्न लिखित अविधिक निर्देश दिये गये हैं:-

1. मेहरडा ने एट्रोसिटी एक्ट के अधीन हर हाल में अभियुक्त की गिरफ्तारी को अनिवार्य बताया है जबकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1)(बी) में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के प्रकरण में (अपील संख्या 1277/2014) स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में अभियुक्त को सामान्यत: गिरफ्तार नहीं किया जावे। यदि गिरफ्तार करना जरूरी हो तो भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1)(बी) में उल्लेखित शर्तों की विश्वसनीय प्रमाणों सहित पालना करने के बाद ही गिरफ्तार किया जावें। मजिस्टेऊट के समक्ष 24 घण्टों में अभियुक्त को प्रस्तुत करते वक्त इन प्रमाणों के आधार पर धारा 41(1)(बी) की शर्तों की पालना युक्तियुक्त होने पर ही मजिस्टेऊट गिरफ्तारी को अनुमोदित कर सकेगा अन्यथा नहीं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एट्रोसिटी की झूठी एफआई.आर के अधीन किसी अभियुक्त को किसी भी सूरत में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यदि एफआई.आर सही है तो भी अभियुक्त केवल तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जबकि:-

(अ) अभियुक्त द्वारा सात वर्ष से अधिक की सजा वाला अपराध किया गया हो, अथवा,

(ब) अन्वेषण अधिकारी ने गिरफ्तारी को जरूरी बताने वाले कारणों को लिख दिया हो तथा सीआरपीसी की धारा 41(1)(बी) में अंकित शर्तों की पालना प्रमाण सहित कर दी हो।

2. मेहरडा द्वारा एट्रोसिटी एक्ट के अधीन दर्ज एफआई.आर. में अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ/अधिकार किसी भी सूरत में नहीं होना बताया गया है, सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधानों का एट्रोसिटी के मामलों में लागू नहीं होना बताया गया है। श्री मेहरडा द्वारा दुराशय पूर्वक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न निर्णयों में दिये गये बाध्यकारी निर्देशों को छिपाया गया है, अनदेखा किया गया है:-

(i) डा0 सुभाष काशीनाथ विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार एवं अन्य (2018) 6-एससीसी-454 के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 20.03.2018 के पैरा 83(´।।) के निर्देश,

(ii) उक्त प्रकरण की रिव्यु पिटीशन (सीआरएल) नम्बर 228/2018 भारत सरकार बनाम महाराष्ट्र सरकार के निर्णय दिनांक 01.10.2019 के पैरा-54, 57 एवं 67 के निर्देश,

(iii) पृथ्वीराज चौहान विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य (रीट पेटिशन (सी)1015/2018 में निर्णय दिनांक 10.02.2020 के पैरा संख्या 8, 10 व 11 के निर्देशों को छिपाया है, तथा इनके विपरीत प्रभाव वाले निर्देश जारी किये हैं। उपरोक्त निर्णयों के सन्दर्भित पैराज आपके ताजा संदर्भ के लिए अनुलग्नक-दो में अंकित किये गये है।

3. इस एट्रोसिटी एक्ट की धारा 18ए, 20, 15 (क)(3) एवं सीआरपीसी की धारा 5 का उल्लेख करते हुये श्री मेहरडा द्वारा निर्देशित किया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1)(बी) सहित इस संहिता का कोई भी प्रावधान एट्रोसिटी एक्ट पर लागू नहीं होता। श्री मेहरडा के ये निर्देश दुर्भाग्यपूर्ण हैं और प्रकटत: अविधिक हैं, असंवैधानिक हैं। एट्रोसिटी एक्ट की धारा 2(1)(बी), 2(1)(एफ), 9(1)(बी), 9(3) 17(2) और यहाँ तक कि स्वयं धारा 18(ए) में भी स्पष्ट उल्लेख है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान एट्रोसिटी एक्ट पर लागू होंगे।

4. मेहरडा द्वारा दुराशय पूर्वक सीआरपीसी की धारा 41(ए) को भी बिना किसी आधार के ही एट्रोसिटी एक्ट पर लागू नहीं होना बताया गया है जबकि स्वयं धारा 18(ए) में ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया अपनाने का उल्लेख किया गया है।

5. मेहरडा ने जो जातिगत आधार पर पद का दुरूपयोग करते हुये परिपत्र दिनांक 29.05.2020 जारी किया है वह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराधा शाखा जयपुर द्वारा दिनांक 29.04.2020 को जारी परिपत्र क्र. व-15(ख)(23) राजकाज-02922/विधि/ 2014/3820-90 में दिये गये निर्देशों के विपरीत है। परिपत्र की प्रति अनुलग्नक-तीन के रूप में संलग्न है। अपराधा शाखा ने यह परिपत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार के प्रकरण में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जारी किया है। अपराध शाखा के इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित होने से प्रदेश में पुलिस प्रशासन दुरूस्त होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लेखित भ्रष्टाचार आदि सभी नकारात्मक बुराइयों पर लगाम लगेगी, राज्य सरकार की छवि न्यायप्रिय एवं समतावादी सरकार के रूप में उभरेगी। इसके विपरीत श्री मेहरडा द्वारा जारी परिपत्र जातिगत वैमनस्य बढाने वाला है, भ्रष्टाचार बढाने वाला है, ब्लैक मेलिंग बढाने वाला है, राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने वाला है, मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व को कमजोर व लाचार दर्शाने वाला है।

इतने उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा जातिगत आधार पर पद का दुरूपयोग करके ऐसे झूठे, आधारहीन तर्कों के द्वारा सीआरपीसी को असम्बद्ध व प्रभावहीन बना कर यह प्रमाणित करने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री/गृहमंत्री उनका कुछ नहीं बिगाड सकता, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या कानून का राज आदि किसी का भी भय उन्हें खुलेआम अविधिक काम करने से नहीं रोक सकता। प्रकटत: श्री मेहरडा का उपरोक्त कृत्य जातिगत आधार पर पद व प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग है। न्यायपालिका की अवमानना है। संसद की अवमानना है। भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन अपराध है।

अत: उपरोक्तानुसार विधिक, न्यायिक एवं तथ्यात्मक स्थिति रखने के पश्चात समता आन्दोलन द्वारा पत्र में प्रार्थना की गई है कि:-

1. श्री मेहरडा द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प-1(21) सीबी/सीआरसी/परिपत्र/ 1821-63 दिनांक 29.05.2020 को तत्काल वापिस लिया जावे।

2. श्री रवि प्रकाश मेहरडा के विरूद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही करते हुये उपयुक्त दण्ड दिया जावे।

3. एक स्वतंत्र न्यायिक जांच बिठाकर श्री मेहरडा द्वारा अभी तक किये गये सभी अविधिक कार्यों की जांच करवाकर कार्यवाही की जावे।

सभी पुलिस अधीक्षकों को अवमानना का ज्ञापन

समता आन्दोलन समिति ने राजस्थान के सभी पुलिस उपायुक्तों एवं पुलिस अद्यीक्षकों को अवमानना का ज्ञापन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि रवि प्रकाश मेहरडा (आईपीएस), एडीजी, सिविल राईट, जयपुर के अविधिक परिपत्र क्रमांक क्र. प-1(21) सीबी/सीआरसी/परिपत्र/1821-63दिनांक 29.05.2020 की पालना नहीं करें अन्यथा Contempt of Court की कार्यवाही की जावेगी।

ज्ञापन में लिखा गया है कि चूंकि मेहरडा का उपरोक्त परिपत्र दिनांक 29.05.2020 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के विरूद्ध है, एट्रोसिटी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार के प्रकरण में दिये गये निर्णय के विपरीत है तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) द्वारा दिनांक 29.04.2020 को जारी परिपत्र के विपरीत है, अत: आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया रवि प्रकाश मेहरडा की उपरोक्त अविधिक जातिवादी गतिविधियों का हिस्सा नहीं बनें, उनके अविधिक परिपत्र दिनांक 29.05.2020 की पालना के लिए अपने अधिनस्थ थानाधिकारियों को बाध्य नहीं करें अन्यथा हमें मजबूर होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार के प्रकरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार आपके विरूद्ध भी राजस्थान उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करनी पड़ेगी।

फिर सामने आया मीणा-मीना विवाद

पाली, अनुसूचित जनजाति में शामिल मीणा और मीना शब्द को लेकर विवाद अभी भी पूरी तरह से थमा नहीं है। हाल ही में इसी शब्द में अंतर के कारण पाली के कनिष्ठ सहायक पद के लिए चयनित एक अभ्यर्थी की नियुक्ति रोक दी गई है। इधर, मामले में मीणा समाज के नेता किरोड़ीलाल ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री से संज्ञान लेने को कहा है। कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 में सुग्रीव पुत्र अमर सिंह मीणा का पाली में कनिष्ठ सहायक के पद पर चयन हुआ। अभ्यर्थी को दस्तावेजों की काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। उसके आवेदन पत्र में मीणा और जाति प्रमाण पत्र में मीना लिखा हुआ होने से उसकी नियुक्ति रोक दी। इस संबंध में कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है।

जाति आधारित आरक्षण असंवैधानिक: काटजू

अपने किसी न किसी बयान से चर्चा में रहने वाले पूर्व जस्टिस माकण्डेय काटजू ने 'वायर' में लिखे आलेख में साफ कहा है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जाति आधारित आरक्षण को जरूरी बताता हो। उन्होंने अनुच्छेद 15(4),16(4)और 16(4)(ए) का हवाला देते हुये लिखा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। उनकी दलील है कि ओबीसी के लोग आजादी से पहले पिछड़े थे अब नहीं हैं। वे यह भी मानते हैं कि अनुसूचित जाति के पढे लिखे लोग ही छुआछूत करते हैं। वे मानते हैं कि ये आरक्षण एससी के लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर बनता है और मेहनत करने की क्षमता पर बुरा असर डालता है।

अब आवास भी आरक्षित

लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों में से 73.5 प्रतिशत मकान आरक्षित श्रेणी के लोगों को मिलेंगे। योजना के मकानों में भी आरक्षण की नयी व्यवस्था लागू की गई है। एससी-एसटी व अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलेगा ही, पहली बार किन्नरों को भी आधा प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय हुआ है। विधवा और एकल महिला के लिए भी आठ मकान आरक्षित कर दिये गये हैं। कहा जा रहा है कि महिलाओं की आवास समस्या को दूर करने के लिए यह निर्णय किया गया है। शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में आरक्षण देने की नई व्यवस्था का आदेश 11 जुलाई को जारी किया है। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इस पर हस्ताक्षर किये है।

समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in